सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या- 711 राँची, बुधवार, 11 सितम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

29 अगस्त, 2019

विषयः-झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा पद्धति में संशोधन के संबंध में।

संख्या- 11/क०च०आ०-02-03/2016 का० 6843-- राज्य के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत रिक्त विभिन्न संवर्ग के अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2015 (विज्ञापन सं०-14/2015 एवं 15/2015) के प्रारम्भिक परीक्षा का परीक्षाफल वर्ष 2016 में आयोग के द्वारा जारी किया गया था, परन्तु अपरिहार्य कारणवश उक्त प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करते हुए परीक्षा में शामिल सभी पदों से संबंधित सभी अधियाचनाओं को वापस लिये जाने का समुचित निर्णय विभाग के द्वारा लिया गया था।

2. उपर्युक्त परीक्षा के सम्बन्ध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं०-LPA No-614/2017- राज्य सरकार एवं अन्य बनाम रंजीत कुमार गुप्ता एवं अन्य में दिनांक 09-07-2018 को झारखण्ड संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का नये सिरे से आयोजन किये जाने के संबंध में न्यायादेश पारित किया गया है। उक्त न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्न प्रकार हैः-

"Para-12:- We are not going into the fine niceties of the rules and the requirements of the government. It ought to be kept in mind that it is the prerogative power of the employer to give fresh advertisement for the public posts and in the facts of the present case, on 18th January, 2017 (Annexure 12 to the memo of the Letters Patent Appeal), a policy decision has been taken by the State of Jharkhand to re-advertise the vacancies. Now, there will be more vacancy. Now there will be a fresh rule of the year 2017. For Technical and Non-technical posts there can be separate advertisements because qualifications may be different. Suffice it to say that there is no right vested in Respondent No.s 1, 2, 3, and 4 that they must be allowed to appear in the main examination. Decision taken by the State of Jharkhand is not for Respondent No.s 1, 2, 3, and 4 only, but, also applies evenly to all candidates ....."

"Para-23:- It is expected from the State of Jharkhand that they will publish an advertisement as early as possible and practicable."

3. इस बीच राज्य सरकार के द्वारा संकल्प संख्या-3854, दिनांक-01.06.2018 यथा संशोधित संकल्प संख्या- 8468 दिनांक-20.11.2018 के माध्यम से झारखण्ड राज्य में ''समूह-'ख' के अराजपत्रित तथा समूह-'ग' एवं समूह-'घ'' के सभी राज्यस्तरीय पदों पर भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में मात्र झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माने जाने का प्रावधान किया गया है। यह संकल्प दिनांक-01-06-2018 से प्रभावी है। उक्त संकल्प की कंडिका 3 (ख) में स्थानीय लोगों के नियोजन के संबंध में निम्न प्रावधान किया गयाः-

"राज्य के वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली वैसी सभी प्रतियोगिता परीक्षाएँ जिनके लिए मात्र विज्ञापन ही प्रकाशित हुए हैं, किन्तु अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी है, से संबंधित विज्ञापन तत्काल निरस्त किये जायेंगे तथा उपर्युक्त कंडिका 'क' में अंकित प्रावधानों के अनुरूप झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर उक्त परीक्षाएँ आयोजित की जायेंगी।"

4. विभागीय संकल्प संख्या-3854, दिनांक-01.06.2018 यथा संशोधित संकल्प संख्या-8468 दिनांक-20-11-2018 के प्रावधानों को प्रभावी/लागू करने के बिन्दु पर विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड का परामर्श प्राप्त किया गया जिसका कार्यकारी अंश निम्न प्रकार हैः-

"I, therefore, opine that the selection process should proceed strictly in accordance with the two Resolutions No. 3854 dated 01.06.2018 and 8468 dated 20.11.2018. No discrimination should be allowed between those who participated as per the earlier advertisement (s) vis-a-vis those who are to participate pursuant to new advertisement.

The net result would be that, even those who participated in the earlier selection process but if they are not local residents of Jharkhand, as defined under the Local Resident Policy, their candidature cannot be considered."

5. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश एवं विद्वान महाधिवक्ता के द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में संयुक्त स्नातक (सामान्य योग्यता वाले पद) स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा एवं संयुक्त स्नातक (विशिष्ट/तकनीकी योग्यता वाले पद) स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा हेतु नवीन विज्ञापन का प्रकाशन कर परीक्षा का नये सिरे से आयोजन किया जाना है। उक्त के सम्बन्ध में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की प्रस्तावित आगामी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों के हितों को दृष्टिपथ में रखते हुए तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) N0-663/2016 (विवेक कुमार खन्ना एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में दिनांक-16-03-2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में समेकित रूप से राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं:-

(i) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित अधियाचना में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद को छोड़कर (जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा की गणना की संदर्भ तिथि 01.08.2015 है) अन्य सभी पदों (यथा-प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष, सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, वरीय अंकेक्षक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी एवं भूतात्विक विशलेषक) के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के अधिकतम आयु (Upper Age Limit) की गणना हेतु आधार तिथि (Cut-off-date) दिनांक-01-08-2010 तथा सभी पदों (सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सहित) के लिए न्यूनतम उम्र (Lower Age Limit) की गणना हेतु आधार तिथि (Cut-off-date) 01-08-2019 निर्धारित किया जाता है।

(ii) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०-14/2015 एवं 15/2015 में सम्मिलित हुए आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा, इस हेतु इन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, परन्तु उन्हें नये आवेदन पत्र में पूर्व के आवेदन का निबंधन संख्या (Registration Number)/अनुक्रमांक (Roll Number) दर्ज करना आवश्यक होगा, अन्यथा उन्हें परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगी।

(iii) पूर्व में सम्मिलित वैसे आवेदक जो आगामी परीक्षा में शामिल होने से वंचित रहेंगे अथवा आगामी परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनके अनुरोध पर परीक्षा शुल्क वापस करने की कार्रवाई झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जायेगी।

(iv) आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के सन्दर्भ में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा नियोजन नीति से संबंधित निर्गत संकल्प संख्या-3854, दिनांक-01-06-2018 (यथा संशोधित संकल्प संख्या-8468 दिनांक-20-11-2018) के प्रावधानों के आलोक में केवल वैसे अभ्यर्थी जो झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी हैं, उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।

6. इस सम्बन्ध में पूर्व से निर्गत सभी संकल्पों/अधिसूचनाओं/आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 711 -- 50